भरोसे के लिए... घोटाले का दाग धोने नियमों में बदलाव कर रहा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

भर्ती परीक्षा में अव्वल आने वालों को पीईबी करेगा पुरस्कृत

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

घोटाले के दाग धोने के लिए व्यापमं का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) करने के बाद अब बोर्ड ने कार्यप्रणाली बदलने की योजना तैयारी कर ली है। इसके लिए बोर्ड अपने एक्ट में संशोधन करने जा रहा है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक भर्ती या प्रवेश परीक्षा में कोई उम्मीदवार अव्वल आएगा तो बोर्ड उसे पुरस्कार, मेडल या स्कॉलरशिप देगा। मप्र में यह पहली बार होगा जब भर्ती परीक्षा में मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को पुरस्कृत किया जाएगा। नए नियमों का मसौदा जारी करते हुए बोर्ड ने इस पर तीस दिन में दावे-आपत्तियां बुलवाई हैं। इसके बाद नियमों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसे सरकार की सख्ती के साथ ही बोर्ड की छवि बदलने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

कम हुआ भरोसा: व्यापमं घोटाले के बाद से बोर्ड पर परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का भरोसा कम हुआ है। यही वजह है कि नाम बदलने के बाद अब इसके एक्ट में भी बदलाव किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि एक्ट में कई खामियां हैं जिसका फायदा उठाकर बोर्ड के अधिकारी-कर्मचारी घोटाले को अंजाम देते रहे हैं।

यह खास होगा नए नियमों में

- **पुरुस्कार :** मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को पुरस्कार, मेडल या स्कॉलरशिप दी जाएगी। पुरस्कार क्या दिया जाएगा यह तय नहीं हुआ है। साथ ही परीक्षा समिति का गठन भी किया जाएगा जो योग्य उम्मीदवार का मेरिट के आधार पर चयन करेगी।
- **एमपी में ही होगी परीक्षा :** बोर्ड की भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं प्रदेश में ही होंगी। बाहर परीक्षा होने से वहां के केंद्र पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रहता और बाहरी राज्यों के उम्मीदवार केंद्र पर परीक्षा के लिए तैनात लोकल स्टाफ की मदद से फर्जीवाड़े को अंजाम दे देते हैं।
- **स्किल टेस्ट :** बोर्ड प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए स्किल टेस्ट भी आयोजित करेगा।
- **साइबर ऑडिट :** ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों व प्रक्रिया का साइबर ऑडिट भी होगा।

नए नियमों में मेरिट में आने वाले उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने समेत अब तक रही इसकी खामियों को दूर किया जा रहा है जिससे भविष्य में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। - **एमआर धाकड़,** अपर सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग

बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे

जबलपुर (नप्र)। कंज्यूमर फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह धनवंतरि नगर, जबलपुर निवासी प्रकाश लांबा के हक में बीमा क्षतिपूर्ति राशि 79 हजार 900 रुपए का भुगतान करे। यही नहीं मानसिक पीड़ा के एवज में 10 हजार व मुकदमे का खर्च 2 हजार रुपए भी दिया जाए। सभी भुगतान 2 माह के भीतर 8 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से करने होंगे। कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन केके त्रिपाठी व सदस्य योमेश अग्रवाल व अर्चना शुक्ला की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार जैन व विक्रम जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक टाटा केयर वाहन का मालिक है। उसने अपने वाहन का बीमा 24 जनवरी 2013 से 23 जनवरी 2014 की अवधि के लिए कराया था। 6 दिसंबर 2013 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसकी सूचना लखनादौन पुलिस व बीमा कंपनी को दे दी गई। साथ ही बीमा क्लेम प्रस्तुत किया गया, लेकिन बीमा कंपनी ने वाहन चालक के पास लाइसेंस न होने के आधार पर क्लेम को निरस्त कर दिया। लिहाजा, पहले अधिवक्ता के जरिए लीगल नोटिस दिया गया और बाद में फोरम की शरण ली गई। दरअसल, वाहन चालक के पास लायसेंस था और वाहन उस वस्तुत के परिवहन के लिए भी पंजीकृत था, जिसे परिवहन करते वक्त दुर्घटना हुई। इसके बावजूद बीमा कंपनी सेवा में कमी करते हुए अपने कर्त्तव्य से मुकर रही है।

पॉलिसी बेचते समय किए गए वादे से मुकरी कंपनी, उपभोक्ता फोरम का आदेश

बीमा कंपनी ब्याज के साथ करे राशि का भुगतान

इंदौर। नईदुनिया प्रतिनिधि

बीमा कंपनी ने पॉलिसी बेचते समय विश्वास दिलाया था कि जब भी उपभोक्ता अस्पताल में भर्ती होंगे उन्हें साढ़े तीन हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, लेकिन कंपनी अपने वादे से मुकर गई। उपभोक्ता ने कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई। फोरम ने कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को ब्याज के साथ भुगतान करे।

आरआर कैट कॉलोनी निवासी पीसी मथाई ने कॉर्पोरेट एक्सीडेंट एंड हेल्थ डिपार्टमेंट रॉयल सुंदरम एलियांज इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चैन्नई से ऑनलाइन बीमा पॉलिसी ली थी। यह पॉलिसी 2010 से 2016 तक वैध थी।

इसके मुताबिक बीमा कंपनी को मथाई के अस्पताल में भर्ती होने पर उन्हें 3500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना था। मथाई 7 मार्च 2015 से 10 अप्रैल 2015 तक 35 दिन इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती रहे। उनकी बायपास सर्जरी हुई थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर मथाई ने बीमा कंपनी से साढ़े तीन हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक लाख 22 हजार 500 रुपए क्लेम राशि की मांग की, लेकिन कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। इस पर मथाई ने एडवोकेट बसंत सितोले के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। कंपनी ने फोरम में जवाब दिया कि मथाई पुरानी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती हुए थे, इसलिए उन्हें क्लेम का भुगतान नहीं किया जा सकता। फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया कि बीमा कंपनी उपभोक्ता को एक लाख 22 हजार 500 रुपए का भुगतान करे। कंपनी को इस रकम पर 2015 से अब तक ब्याज भी देना होगा। फोरम ने माना कि कंपनी ने क्लेम का भुगतान नहीं कर सेवा में कमी की है। इसलिए उसे तीन हजार रुपए मानसिक संत्रास और एक हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में भी देने होंगे।

नई व्यवस्था • कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीच हुए अनुबंध, बढ़ेगी कोर्सेस की गुणवत्ता

अब स्कूलों में नहीं, 186 कॉलेजों में चलेंगे भोज विवि के सेंटर्स

डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ने वाले 1.30 लाख छात्रों को होगा लाभ

एजुकेशन रिपोर्टर | भोपाल

भोज (मुक्त) विश्वविद्यालयों के स्कूलों में संचालित किए जा रहे स्टडी सेंटर्स अब कॉलेजों में चलेंगें। इससे विवि द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से कराए जा रहे कोर्सेस की क्वालिटी बढ़ सकेगी। यहां छात्र न सिर्फ पढ़ाई कर सकेंगे, बल्कि कॉलेजों की लैब व लाइब्रेरी का उपयोग भी कर सकेंगे। विवि अनुदान आयोग की सिफारिश पर स्कूलों में संचालित स्टडी सेंटर्स बंद किए जाएंगे। दरअसल, मंगलवार को मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के 186 कॉलेजों के साथ अनुबंध किया गया है। इसका लाभ विवि से पढ़ने वाले करीब 1.30 लाख स्टूडेंट्स को मिलेगा। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, भोज विवि कुलपति प्रो. जयंत सोनवलकर, बीयू कुलपति प्रो. आरजे राव, पीएस हरिरंजन राव, आयुक्त राघवेंद्र सिंह व विवि के रजिस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी आदि मौजूद थे।

सुविधा...इन सेंटर्स की लैब-लाइब्रेरी का उपयोग कर सकेंगे डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स

मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कॉलेजों का अनुबंध हुआ।

मिलेगा गाइडेंस-रजिस्ट्रार डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि स्कूलों में प्रोफेसर्स पूरे समय उपलब्ध नहीं हो पाते थे। अब उन्हें संपर्क कक्षाओं के अलावा अन्य दिनों में भी प्रोफेसर्स का गाइडेंस हमेशा मिल सकेगा। भोपाल में शासकीय बेनजीर कॉलेज व एमएलबी गर्ल्स कॉलेज में सेंटर खोले हैं।

एक पक्ष यह भी -स्कूलों में 264 स्टडी सेंटर्स थे। इनका एक लाभ यह भी था कि इसके कारण गांव-गांव तक सेंटर्स की पहुंच थी। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इन सेंटर्स से आसानी होती थी। अब अधिकतर कॉलेज में कस्बाई इलाकों में होंगे।

पटवारी ने कहा...यह नवाचार एक सार्थक पहल है

उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, अफोर्डेबल और दूरस्थ शिक्षा की ओर यह नवाचार एक सार्थक पहल है। प्रदेश में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो तमिलनाडु के मुकाबले काफी कम है, यह एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि की तर्ज पर अब भोज विवि भी उन विद्यार्थियों और कामकाजी लोगों तक उच्च शिक्षा पहुंचाने में सफल होगा, जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं।